सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3159/RJ/1/2025-RU-I दिनांक: 05/05/2026.

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-जयपुर,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
जयपुर-302016, राजस्थान
ई-मेल: dm-jaip-rj@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-जयपुर (ग्रामीण),
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
जयपुर-302016, राजस्थान -302016
ई-मेल: sp.jaipurrural@rajpolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के 40 परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूखण्डों का ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पट्टा प्रदान नहीं करने तथा आवासिय भूखण्डों पर सरपंच की मिली भगत से अनारक्षित वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के संदर्भ में श्री गुरूबक्स मीना एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम दांतली, ग्राम पंचायत भावनी तहसील-जमवारागढ़ आंधी, जिला-जयपुर, राजस्थान का दिनांक 19.09.2025 का अभ्यावदेन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 18.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री गुरूबक्स मीना,
ग्राम दांतली, ग्राम पंचायत भावनी,
तहसील-जमवारागढ़ आंधी,
जिला-जयपुर, राजस्थान

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

अनुसंधान एकक-I/Research Unit - I
फाइल संख्या/File No. : NCST/ATY-3159/RJ/1/2025-RU-I

बैठक की कार्यवाही (Minutes of the Sitting)

अनुसूचित जनजाति के 40 परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आवंटित भूखण्डों का पट्टा प्रदान नहीं करने तथा आवासिय भूखण्डों पर सरपंच की मिली भगत से सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के संदर्भ में श्री गुरूबक्स मीना निवासी ग्राम दांतली, ग्रमा पंचायत भावनी तहसील आंधी, जिला जयपुर का अभ्यावदेन दिनांक – 19/09/2025 पर दिनांक 18.03.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आहूत सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 18.03.2026

सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

आयोग को श्री गुरूबक्स मीना निवासी ग्राम दांतली, ग्रमा पंचायत भावनी तहसील आंधी, जिला जयपुर से आयोग को प्राप्त अभ्यावदेन दिनांक – 19/09/2025 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के 40 परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा आवंटित भूखण्डों का पट्टा प्रदान नहीं करने तथा आवासिय भूखण्डों पर सरपंच की मिली भगत से सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के संदर्भ में आयोग से न्याय की गुहार लगाई है।

प्रार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 19/9/2025 पर जिला प्रशासन से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाने हेतु दिनांक 25.11.2025 को आयोग द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया था। जिसके क्रम में प्रकरण में कार्यालय पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, जयपुर के प्रतिवेदन दिनांक 6/2/2026 के अनुसार सम्पूर्ण जाचं से यह तथ्य सामने आये है कि प्रशासन गांवो के रांग अभियान 2010 क तहत ग्राम दांतली में निवासरत अनुसूचित जनजाति (मीना समुदाय) के लोगों को ग्राम पदायत भावनी के द्वारा प्रस्ताव पारित कर ग्राम दांतली की चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 239 में से 3 बीघा भूमि आबादी में रूपान्तरित करने का प्रस्ताव पस्ति कर तहसीलदार जमवारामगढ़ को भेजा गया। जिस पर तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा अपने रिपोर्ट तैयार कर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ को भेजी गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर के कार्यालय कमांक 1100 दिनांक 30.12.2010 को आदेश पारित कर ग्राम दांतली की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 24.12 में से 3 बीघा भूमि को आबादी हेतु आंवटित की गई है। जब से भूमि आवंटित की गई थी वह जमीन खाली पड़ी हुई थी इसलिए आस में ही निवास कर रहे जोगी समुदाय के लोगो ने धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया और वर्तमान में उस भूमि पर

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जोगी समुदाय के लोग अस्थाई निर्माण कर (झोपडी, टीनशेड आदि) कर निवासरत पाये गये है। जिनको भविष्य में अन्य कोई नया निर्माण किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का नहीं करने बाबत पाबन्ध किया गया है। तथा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत भावनी द्वारा भी दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है। दोनो पक्षो को मौके पर शान्ति / कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पाबन्ध हेतु इंस्तागासा अन्तर्गत धारा 126. 135 बीएनएसएस 2023 ने गैरसायलान 1. रामस्वप पुत्र कल्याण उम्र 50 साल 2. नरसी पुत्र कल्याण उम्र 42 साल, 3. गणेश पुत्र कालू उम्र 43 साल. 4. सुण्डाराम पुत्र लादूराम उम्र 45 साल, 5. पप्पू पुत्र लादूराम उम्र 47 साल, 6. काना राम पुत्र नारायण उम्र 40 साल, 7 राजू पुत्र नारायण उम्र 38 साल 8 छीतर पुत्र गोविन्दा उम्र 58 साल, 9. किशन पुत्र जयराम उम्र 50 साल, 10. सीताराम पुत्र गणपत उम्र 59 साल, 11. कब्बू पुत्र मंगल उम्र 38 साल, 12. पूर्ण पुत्र मंगल उम्र 35 साल, 13. लहरी पुत्र शम्भू उम्र 32 साल, 14 केलाश पुत्र शम्भू उम्र 30 साल, 15. मुकेश पुत्र रामेश्वर उम्र 38 साल निवासीयान दांतली थाना आआंधी जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध ईस्तगासा मुर्तिब कर दिनांक 31.01.2026 को न्यायालय पेश किया जा चुका है।

आयोग के नोटिस के क्रम में कार्यालय जिला कलेक्टर, जिला – जयपुर से सुनवाई दिनांक तक आयोग को कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रार्थी के अनुरोध पर दिनांक 25/2/2026 को सिटिंग आहूत कि गई।

सुनवाई तिथि को कार्यालय जिला कलेक्टर, जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लॉक विकास अधिकारी एवं प्रार्थी उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान ही कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर का तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 17/3/2026 माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार–

1. वर्तमान पंचायत समिति आंधी व तत्कालीन पंचायत समिति जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत भावनी के ग्राम दांतली में आबादी विस्तार हेतु ग्राम सभा बैठक का प्रस्ताव संख्या 5 (10) दिनांक 22.11.2010 द्वारा आबादी विस्तार हेतु चरागाह भूमि खसरा नंबर 239 में से 3 बीघा जमीन आवंटन का प्रस्ताव व अनापत्ति दी गई थी जिसमें अनुसूचित जन जाति के परिवार निवास करने व अनु जन जाति के परिवारों हेतु उक्त आवंटन में उल्लेख किया गया था। उक्त प्रस्ताव व तत्कालीन सरपंच गिरधारी लाल व ग्राम संवक पदेन सचिव राजेश मीना के सील साईन है लेकिन इस प्रस्ताव में आवंटन योग्य भूमिहीन परिवारों के नाम की सूची नहीं है।

2. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के आदेश क्रमांक 1100 दिनांक 30.12.2010 द्वारा ग्राम पंचायत भावनी के ग्राम दातली की चरागाह भूमि खसरा न. 239 कुल रकबा 24/12 में से 3 बीघा भूमि आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, इस आवंटन आदेश में ग्राम पंचायत भावनी के प्रस्ताव संख्या 5 (10) दिनांक 12.11.2010 तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा तैयार प्रस्ताव पर यह भूमि आवंटन की गई थी, किन्तु आवंटन आदेश में केवल आबादी प्रयोजनार्थ आवंटन आदेश है. इसमें अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। उक्त आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा न. 316/305 है।

As

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3. उक्त आवंटित भूमि में पत्रावली पर अलग से अनुसूचित जनजाति के 40 परिवारों की सूची संलग्न कर रखी है, जिसमें प्रस्ताव संख्या 8 (2) 22.11.2010 ग्राम सभा लिखा हुआ है एवं नीचे तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव राजेश मीना के सील साईन है, इस पर तत्कालीन सरंपच के सील साईन नहीं है. तथा उक्त अवधि के ग्राम सभा रजिस्टर में उक्त सूची दर्ज नहीं है।

4. वर्तमान सरपंच के कार्यकाल 2020 से अब की अवधि में उक्त भूमि पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें 2022 में भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के भू-भागों का चूना मार्किंग व चिन्हिकरण करवाया जाकर ड्रोन सर्वे से नक्शे तैयार कराने एवं उक्त भूमियों पर निवासरत परिवारों को पट्टे जारी करने की योजना की जानकारी लोगो को होने पर ग्राम दातली के अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा उक्त आंवटित भूमि पर मौजूदा अतिक्रमी जोगी समाज के परिवारों द्वारा ग्राम पंचायत भावनी से पट्टा की मांग किये जाने पर विरोधाभासी स्थिति के कारण दोनो पक्षों द्वारा उच्चाधिकारियों एवं विभिन्न सक्षम विभागों / प्राधिकरणों में प्रकरण के परिवाद व शिकायते प्रस्तुत की गई है।

5. उक्त दोनो पक्षों द्वारा ग्राम पंचायत में प्रकरण आने पर ग्राम पंचायत की वर्तमान कार्यकारणी के कार्यकाल में आयोजित ग्राम सभा बैठक दिनांक 02.10.2022 के प्रस्ताव संख्या 5 में उक्त आबादी भूमि के मूल आवंटन की पत्रावली में संलग्न 40 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन हेतु अपात्र माना है। ग्राम सभा के इस प्रस्ताव से ग्राम पंचायत मूल प्रस्तावित 40 नामों के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी करने की कार्यवाही नहीं कर रही है। आवंटन हेतु अपात्र माना है। ग्राम सभा के इस प्रस्ताव से ग्राम पंचायत मूल प्रस्तावित 40 नामों के पक्ष में आवासीय पट्टा जारी करने की कार्यवाही नहीं कर रही है।

6. उक्त दोनो पक्षीय अनुसूचित जनजाति परिवारों तथा जोगी समाज के अतिक्रमी परिवारों के उच्चाधिकारियों को प्रकरण से सम्बन्धित परिवाद प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 6037 दिनांक 24.09.2024 द्वारा ग्राम पंचायत भावनी को इस भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण को तत्काल हटाने एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 से 142 की पालना करने हेतु निर्देश जारी किये तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति आंधी के पत्रांक 6070 दिनांक 24.09.2025 अनुसार पंचायतीराज विभाग के जिला स्तर के सक्षम अधिकारी श्री अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को प्रकरण की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में व ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाकर पट्टा जारी करने की कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 अनुसार किये जाने हेतु रिपोर्ट भिजवाई गई।

7. इसी प्रकरण से सम्बन्धित जोगी समाज के परिवारों जोकि वर्तमान में अतिक्रमी है. द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टे जारी करवाने की शिकायत जिला स्तर पर प्रस्तुत होने पर जिला परिषद जयपुर द्वारा सीधे प्रकरण की जांच हेतु जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाकर जांच कार्यवाही की गई जिसके अनुसार उक्त भूमि पर जोगी समाज के परिवारों का अतिक्रमण माना है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बेश कीमती भूमि को खूर्द-बुर्द करने में वर्तमान प्रशासक / सरंपच एवं ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका मानी गई है. साथ ही 2010 में अनुसूचित जनजाति के 40 परिवारों की सूची बिना ग्राम सभा में अंकन कर प्रस्तुत करने को

AS

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

नियम विरूद्ध मानते हुये तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिय को उत्तरदायी माना है, साथ ही प्रस्तावित 40 परिवारों की सूची में से अधिकतर पूर्व सरपंच गुरूबक्श मीना पक्ष को पट्टों से अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण की श्रेणी में मांना है, एवं इस भूमि खसरा न. 316/305 में आवंटित भूमि पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के तहत नियमानुसार विकास योजना बनाकर पात्र परिवारों को आवंटित करने के सम्बन्ध में कमेंटी ने रिपोर्ट की है, उक्त जांच कमेटी द्वारा यह जांच दिनांक 17.03.2026 को जिला परिषद में प्रस्तुत की है, जिसका अधिकृत आदेश जारी होने पर ग्राम पंचायत को पालना हेतु पाबन्द किया जावेगा।

8. विकास अधिकारी पंचायत समिति आंधी के कार्यालय के पत्र क्रमांक 6037 दिनांक 24.09.2024 द्वारा ग्राम पंचायत भावनी को इस भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण को तत्काल हटाने एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 से 142 की पालना करने हेतु निर्देश जारी किये जाने पर लम्बे समय तक प्रकरण का उचित निस्तारण नहीं करने पर ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रशासक एवं निवर्तमान सरंपच श्री रामबाबू शर्मा को दोषी मानते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत आरोप पत्र प्रस्तावित कर सक्षम प्राधिकारी को इस कार्यालय के पत्रांक 11271 दिनांक 12.03.2026 द्वारा प्रकरण प्रेषित किया जा चुका है, एवं उक्त लापरवाही में वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रहलाद गुर्जर को भी जिम्मेदार मानते हुये उनके विरूद्ध सी.सीए नियम 17 के तहत आरोप पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति आंधी के पत्रांक 11370 दिनांक 14.03.2026 द्वारा जारी किया जा चुका है।

9. उक्त आबादी भूमि के आंवटन के दौरान आदेश की तारीख 30.12.2010 की अवधि में 2010 से 2015 तक तथा 2015-2020 तक तथा 2020-2025 व अब निरन्तर ग्राम पंचायतों के पंचवर्षीय कार्यकाल अनुसार 2 सरंपचों का कार्यकाल 2020 तक रह चुका एवं 2020 से निरन्तर अब तीसरे सरपंच का कार्यकाल चल रहा है। जब अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों के आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया तो लगातार 10 वर्षों तक उक्त पट्टा जारी करने की कोई प्रस्ताव संख्या 5 में उक्त आबादी भूमि के मूल आवंटन की पत्रावली में संलग्न 40 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन हेतु अपात्र माना है, तथा 2010-2020 के दौरान पांच वर्षो तक माननीय आयोग में मुख्य शिकायत कर्ता श्री गुरुबक्श मीना की पुत्र वधु श्रीमती गंगा देवी स्वयं सरपंच रही थी, तब इन्होने पट्टा जारी करने की कार्यवाही नहीं की। यह एक विचारणीय बिन्दु है। उक्त बिन्दुओं के आधार पर अनुसूचित जनजाति के इन परिवारों के आवासहीनः होने व इन्हे आवासीय भूमि की नितान्त आवश्यकता होने कि पूर्णतः पुष्टी नहीं होती है।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसा माननीय आयोग द्वारा की गई है:

1. जिला प्रशासन भूमि खसरा न. 316/305 में आवंटित भूमि पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के तहत जांच कमेटी के प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2026 पर जिला परिषद के अधिकृत आदेश जारी होने पर नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करते हुए अनुसूचित जनजाति के केवल पात्र एवं आवास

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

हेतु भूमिहीन परिवारों को अवश्य सम्मिलित किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हुए अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवार को आवंटन से वंचित नहीं किया जाये।

2. प्रकरण में गठित जिला स्तरीय कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में प्रश्नागत भूमि पर जोगी समाज के परिवारों का अतिक्रमण माना है तथा वर्ष 2010 में अनुसूचित जनजाति के 40 परिवारों की सूची बिना ग्राम सभा में अंकन कर प्रस्तुत करने को नियम विरूद्ध मानते हुये प्रस्तावित 40 परिवारों की सूची में से अधिकतर पूर्व सरपंच गुरूबक्श मीना पक्ष को पट्टों से अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण की श्रेणी में माना है तथा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पुत्र/परिवार के सदस्यों के राजकीय सेवा में होने के कारण अपात्र है, अतः पत्रावली को बन्द किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/ATY-3159/RJ/1/2025-RU-I

दिनांक: 18.03.2026

विषय: अनुसूचित जनजाति के 40 परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूखण्डों का ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पट्टा प्रदान नहीं करने तथा आवासिय भूखण्डों पर सरपंच की मिली भगत से अनारक्षित वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के संदर्भ में श्री गुरूबक्स मीना एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम दांतली, ग्राम पंचायत भावनी तहसील-जमवारागढ़ आंधी, जिला-जयपुर, राजस्थान का दिनांक 19.09.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 18.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-जयपुर, राजस्थान

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	ललित मीना	उपखण्ड अधिकारी	944540104	[signature]
2.	दिवाकर खण्डेलवाल	B.D.O.	9636360400	[signature]
3.	गुरुबक्स मीना	प्रार्थी	9929709629	[signature]
4.	[illegible] कुमार	ASI PS आंधी	6376907359	[signature]

पुलिस अधीक्षक,
जिला-जयपुर (ग्रामीण), राजस्थान

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2.				
3.				
4.				